न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला–पाली (राज0)

पिठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध मुकदमा संख्या– 07/2021
तारीख फैसला–15/06/2022

प्रार्थी–

पृथ्वीसिंह पुत्र मूलसिंह, उम्र– 43 वर्ष, जाति– पुरोहित, निवासी– वाडका, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान)

बनाम–

अप्रार्थी–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी जिला– पाली (राज0)

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम,1956 :–

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री विजय राजपुरोहित।
2– अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार।

–: निर्णय :– दिनांक–15/06/2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि– मौजा सरहद ग्राम– वाडका, पटवार हल्का दादाई, भू. अभि. नि. दादाई, तहसील– देसूरी, जिला– पाली के खसरा नम्बर– 73 रकबा– 4.7100 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर– 74 रकबा– 3.9100 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर– 75 रकबा– 1.3700 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, कुल खसरे– 03 कुल रकबा– 9.9900 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है, जिसमे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा पुश्तैनी संयुक्त सहखातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य का विद्यमान है। जो इस प्रार्थना–पत्र की विषय वस्तुत है। जिसे आगे प्रार्थना–पत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। प्रार्थी के पिता मूलसिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति– पुरोहित, निवासी– वाडका की मृत्यु दिनांक 17/05/2002 को हो चुकी है, जिसके पश्चात् मूलसिंह पुत्र भंवरसिंह के वैधानिक वारिशान के नाम फौतेदगी म्यूटेशन के जरिये वादग्रस्त आराजी मे नाम दर्ज किये गये। प्रार्थी का वास्तविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:19:04 IST
Reason: SelfAttested

–––क्रमशः पेज– 2

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

व रेकर्डेड नाम पृथ्वीसिंह है। लेकिन राजस्व रेकर्ड मे लिपिकीय गलती व भूल से तत्समय राजस्व रेकर्ड मे पृथ्वीसिंह के स्थान पर पृथ्वीराजसिंह दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेजा जिसमे बैंक पास बुक, राशनकार्ड, निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, टी.सी. इत्यादि मे प्रार्थी का नाम पृथ्वीसिंह अंकित है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे पूर्व अनुसार ही प्रार्थी का गलत नाप पृथ्वीराजसिंह दर्ज है। जिस कारण से प्रार्थी को काफी असुविधा का सासमना करना पड रहा है। नाम की गलती से प्रार्थी को विभिन्न सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित होना पड रहा है। स्पष्ट रूप से प्रमाणित इस लिपिकीय गलती और भूल को सुधरा जाना उचित, आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वर्तमान मे प्रार्थी के द्वारा जमाबंदी प्राप्त करने पर उक्त लिपिकीय गलती व भूल की जानकारी होने से श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना–प्त्र पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–प्त्र के पैरा एक मे वर्णित आराजी के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम शुद्धिकरण के जरिये पृथ्वीराजसिंह के स्थान पर शुद्ध किया जाकर पृथ्वीसिंह पुत्र मूलसिंह, जाति– पुरोहित किये जाने का आदेश फरमावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को तलब किया गया। बाद तलबी अप्रार्थी की ओर से जवाब इस प्रकार पेश हुआ कि– यह है कि प्रार्थना–पत्र का पैरा संख्या–1 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। यह है कि प्रार्थना–पत्र का पैरा संख्या–2 मे निवेदन है कि मौजा वाडका के ख0नं0 73, 74, 75 कुल रकबा– 9.99 है. भूमि (जमाबंदी 2059–62) के अनुसार मूलसिंह वल्द भंवरसिंह कौम पुरोहित के नाम खातेदारी अंकित रही है। प्रार्थी के पिता मूलसिंह की मृत्यु होने पर मौजा वाडका नामा0 सं0 65 फौतेदगी नामा0 मूलसिंह के स्थान वारिसान शंकरसिंह, बद्रीसिंह, पृथ्वीराजसिंह पि0 मूलसिंह सूखीबाई धर्म पत्नि मूलसिंह कौम पुरोहित सा0 देह खातेदार दर्ज कर भू.अ.नि. जाचं बाद ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक– 05/01/2002 को सर्व सम्मति से स्वीकृत किया है, जो सही है एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे इसी अनुरूप दर्ज है। प्रार्थना–प्त्र का पैरा [illegible] व 4 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना–पत्र का पैरा संख्या–5 [illegible] श्रीमान् की सेवामे पेश है।, जो शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:19:04 IST
Reason: SelfAttested

——क्रमशः पेज– 3 पर.......

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया एवं निवेदन किया गया कि प्रार्थी का वास्तविक व रेकर्डेड नाम पृथ्वीसिंह है। लेकिन राजस्व रेकर्ड मे लिपिकीय गलती व भूल से तत्समय राजस्व रेकर्ड मे पृथ्वीसिंह के स्थान पर पृथ्वीराजसिंह दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेजा जिसमे बैंक पास बुक, राशनकार्ड, निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, टी.सी. इत्यादि मे प्रार्थी का नाम पृथ्वीसिंह अंकित है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे पूर्व अनुसार ही प्रार्थी का गलत नाप पृथ्वीराजसिंह दर्ज है। जिस कारण से प्रार्थी को काफी असुविधा का सासमना करना पड रहा है। नाम की गलती से प्रार्थी को विभिन्न सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित होना पड रहा है। स्पष्ट रूप से प्रमाणित इस लिपिकीय गलती और भूल को सुधरा जाना उचित, आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, देसूरी की ओर से प्रस्तुत जबाब का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थी के आधार कार्ड प्रति, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र की प्रति, बैंक खाता की प्रति, परिवार राशन कार्ड की प्रति, टी.सी. की प्रति आदि से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी का सही नाम "पृथ्वीसिंह" है एवं प्रार्थी के पिता मूलसिंह की मृत्यु पश्चात विरासत नामान्तरकण मे भूलवश प्रार्थी का नाम पृथ्वीसिंह की जगह पृथ्वीराजसिंह दर्ज कर लिये जाने से मात्र से उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम "पृथ्वीराजसिंह" दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त विवेचन मे मेरी विनम्र राय मे प्रार्थी का नाम शुद्धिकरण हस्ब धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत शुद्धिकरण किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है एवं प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार योग्य मानती हूँ।

–: आदेश :–

Signature Not Verified

अतः प्रार्थी का यह आवेदन अन्तर्गत धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:19:04 IST
Reason: SelfAttested

———क्रमशः पेज– 4 पर.......

सहायक कलेक्टर
(एस. डी. ओ.) देसूरी (पाली)

अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि– मौजा सरहद ग्राम– वाडका, पटवार हल्का दादाई, भू. अभि. नि. दादाई, तहसील– देसूरी, जिला– पाली के खसरा नम्बर– 73 रकबा– 4.7100 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर– 74 रकबा– 3.9100 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर– 75 रकबा– 1.3700 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, कुल खसरे– 03 कुल रकबा– 9.9900 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थी के नाम का संशोधन किया जाकर प्रार्थी का सही नाम यानि रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थी के नाम "पृथ्वीराजसिंह पुत्र मूलसिंह" के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम **"पृथ्वीसिंह पुत्र मूलसिंह"** संशोधित किया जाकर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार, देसूरी को आदेश की पालना हेतू तहरीर जारी हो। तदनुरूप पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्त्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आज दिनांक–15/06/2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी देसूरी
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:19:04 IST
Reason: SelfAttested